AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL
OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
ISSN (E): 2583-1348 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 04 | Issue 03 | March 2023 | www.agpegondwanajournal.co.in | Page No. 66-74

संघवाद की उभरती प्रवृत्तियां न्यू मीडिया के संदर्भ में एक अध्ययन

सौरभ जैन
शोधार्थी - राजनीति विज्ञान,
देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (मप्र)

शोध सार -

संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार, शाब्दिक दृष्टि से 'केंद्र' एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, जबकि 'संघ' संपूर्ण वृत्त है। संविधान सभा के सदस्य संविधान में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का प्रयोग न करने के लिये बहुत सतर्क थे, क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था।

लोकतंत्र की विकास यात्रा में संघ-राज्य संबंधों में नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है, जो कि संविधान निर्माताओं की मूल मान्यताओं से दूर प्रतीत होती है। जीएसटी के माध्यम से कर संग्रह की एकीकृत प्रणाली ने राज्यों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघ पर निर्भर बनाया है, न्यू मीडिया मंचों पर संघ द्वारा राज्यों को जीएसटी भुगतान में देरी की खबरे अक्सर प्रकाश में आती है। कोरोना काल में जहां संघ ने नीतियों के निर्माण और निर्धारण में आधिपत्य स्थापित किया तो वहीं राज्य ऑक्सीजन संकट के समय अपने स्वास्थ्य संसाधनों की जरूरतों के लिए केंद्र पर निर्भर हो गए थे। यह स्थिति उस समय सार्वजनिक हुई जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव शेयर कर दिया। संसद संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कृषि उपज एवं बाज़ारों के संबंध में एक कानून नहीं बना सकती है क्योंकि कृषि एवं बाज़ार राज्य के विषय हैं।

किंतु कृषि कानून के समय इसका उल्लंघन एवं राज्यों द्वारा विरोध स्पष्ट रूप से देखने में आया है। 'हैडलाइन मैनेजमेंट' के माध्यम से विरोध को समर्थन के रूप में प्रदर्शित करने के प्रयास की परंपरा इसी दौर की देन है। संघ द्वारा नियुक्त राज्यपाल की भूमिका विशेषकर ऐसे राज्य जहां दूसरे दलों की सरकारें है में संदेहास्पद रही है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में जनता द्वारा निर्मित सरकारों का दल बदल के माध्यम से सत्ता परिवर्तन इसी दौर की घटनाएं है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल,

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
Saurabh Jain Research Scholar - Political Science Devi Ahilya University, Indore, Madhya Pradesh. India Email: saurabh.jain172@gmail.com	

राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिकाओं ने निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए है। इस शोध पत्र में न्यू मीडिया के संदर्भ में संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है।

प्रस्तावना -

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 (1) के अनुसार, भारत राज्यों का संघ है। दूसरी ओर सरकार की प्रणाली संघात्मक है। भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है, जबकि भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति या करार द्वारा नहीं हुई है, साथ ही राज्यों की संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने की वजह से भारतीय संघ के असली स्वरूप को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जबकि संघात्मक राज्य की परिभाषा को लेकर कोई मतैक्य नहीं है।

केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सरकार की मुख्य विशेषता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। (i) संघ-सूची, (ii) राज्य-सूची,तथा; (iii) समवर्ती-सूची। साथ ही द्विसदनीय विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता संघवाद की विशेषता है। ए.वी. डायसी के अनुसार किसी परिसंघ के निर्माण हेतु दो स्थितियां अपेक्षित होती हैं- **प्रथम**, ऐतिहासिक रूप से राज्यों का एक ऐसा निकाय होना आवश्यक है, जो स्थानीयता, नस्ल अथवा सामान्य राष्ट्रीयता की छाप के आधार पर निकटता से जुड़ा हो। **द्वितीय**, राज्यों के बीच मनोभावों की बहुत ही विशिष्ट स्थिति विद्यमान होनी चाहिए, जो संगठित होने के लिए प्रेरित करती हो। एक होने की इच्छा के अभाव में संघवाद का कोई भी आधार नहीं बन सकता। कुछ भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा भारत को अर्द्ध-संघ के रूप में विवेचित किया गया है, जबकि कुछ इसे संघात्मक की बजाय एकात्मक व्यवस्था बताते हैं। ब्रिटिश राजनीतिवेत्ता के.सी. व्हेयर द्वारा भारत को एक ऐसे एकात्मक राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो गौड़ या उप-संघात्मक लक्षणों से युक्त है। चार्ल्स एलेक्जेंड्रोविच भारत को एक सच्चा संघ मानते हैं, यद्यपि अन्य दूसरे संघों की भांति यह भी भिन्न-भिन्न लक्षणों को प्रकट करता है। इन भिन्न लक्षणों के आधार पर भारत की अर्द्ध-संघ मानना गैर-तर्कसंगत है। नॉर्मन डी. पामर के अनुसार भारतीय गणराज्य कई ऐसे विशिष्ट लक्षणों को प्रकट करता है जो राज्य के अनिवार्य संघीय स्वरूप को रूपांतरित कर देते हैं। सर आइवर जेनिंग्स भारत की मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ मानते हैं। संविधान सभा के सदस्य तथा विख्यात राजनेता के.एम. मुंशी का विचार है कि संविधान द्वारा भारत में एक अर्द्ध-संघीय व्यवस्था स्थापित की गयी है, जिसमें एकात्मक सरकार के कई महत्वपूर्ण लक्षण समाहित हैं।

संघवाद की उभरती प्रवृत्तियां -

आजादी से लेकर 1967 तक केंद्र तथा राज्यों में एक दल का प्रभुत्व सरकार के रूप में रहा है। परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केंद्रीकृत प्रवृत्ति अधिक देखने को मिली। वर्ष 1967 के बाद नौ राज्यों गैर-काँग्रेसी सरकार के निर्माण ने संघ के आधिपत्य के विरोध में स्वर मुखर करना शुरू कर दिए। इसी का परिणाम राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग के रूप में देखने को मिला। 90 के दशक में केंद्र में गठबंधन सरकारों के दौर ने संघीय व्यवस्था को राज्यों पर निर्भर बना दिया। संघ

सरकार, क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर होती चली गई। वर्ष 2014 में तीन दशक के बाद केंद्र में बहुमत की सरकार बनने से व्यवस्था में पुनः केन्द्रीकरण देखा जा रहा है। वस्तु एवं सेवाकर को लेकर संघ एवं राज्यों में गहरे मतभेद है। कोरोनाकाल में स्वास्थ्य नीतियों में संघ के हस्तक्षेप का भी राज्यों ने विरोध किया तो वहीं कृषि कानून को लेकर मतभेद संसद से सड़क तक साफ उभर कर सामने आए है।

इसी तरह देश के 19 राज्यों की सरकारों ने सीएए लागू करने के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास किए थे। सबसे पहले केरल ने सुप्रीम कोर्ट मे गुहार लगाते हुए अनुच्छेद 131 का हवाला दिया था, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के आपसी विवादों में सुप्रीम कोर्ट को ही आखिरी निर्णय देने का प्रावधान है। केंद्र-राज्य संबंधों में गतिरोध की एक प्रमुख वजह वित्त आयोग की कुछ फंड आवंटन नीतियों को भी बताया जाता है। देश के आर्थिक विकास में राज्यों की बुनियादी भूमिका के बावजूद जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णय एक अतिकेंद्रीकृत सत्ता व्यवस्था के निशान दिखाते हैं। केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्य तो किसी न किसी मुद्दे पर आक्रोशित थे ही, बिहार में उस समय बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी लॉकडाउन में आवाजाही और परिवहन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। संसाधनों की कमी से जूझ रहे राज्यों के पास ग्रामीण और स्थानीय निकायों को देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और इसका नतीजा यह है कि संविधान में तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन ठंडे बस्ते में दबा पड़ा है। नगर निगमों और पंचायत निकायों के पास न पैसा है, न काम और न ही काम करने वाले। हाल ही में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति से केंद्र-राज्य संबंध का विषय हटा देने का विरोध तृणमूल काँग्रेस कर रही है।

जीएसटी के लागू होने के बाद केंद्र राज्य वित्तीय संबंध -

GST का लागू होना, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की बड़ी मिसाल था। क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकार थी और केंद्र और राज्यों के बीच गहरा राजनीतिक मतभेद था। देश के सभी राज्यों ने अपनी मर्ज़ी से कर लगाने के अपने अधिकार को छोड़ते हुए तमाम तरह के टैक्स को GST के दायरे में एकजुट करने पर सहमति जताई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बहुत से विषय बेअसर हो गए। GST एक्ट की धारा 297A के तहत एक GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। GST के मुआवज़े और GST परिषद के फ़ैसले लेने के ढांचे को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच अविश्वास की दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्यों को GST लागू करने के बदले में मिलने वाले मुआवज़े का मुद्दा, 2019 में आर्थिक मंदी आने के बाद से बार बार उठ रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते राज्यों का ये संकट गहराता ही गया है। जब महामारी अपने शीर्ष पर थी, तो एक तरफ़ स्वास्थ्य के इस संकट के चलते आर्थिक मंदी ने राज्यों की आमदनी पर गहरा असर डाला। वहीं दूसरी तरफ़, कोविड-19 के कहर से निपटने की ज़िम्मेदारी भी राज्य सरकारों के ही कंधे पर आ पड़ी थी। इस भयंकर आपात स्थिति के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों को उनके हिस्से की रक़म देने में देरी का विवाद खुलकर सामने आ गया।

जीएसटी क़ानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू करने के बाद पाँच साल तक राजस्व में होने वाले नुक़सान की भरपाई के लिए वित्तीय मदद देने का प्रावधान है। केंद्र और राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी राजस्व में होने वाले क़रीब 2.35 लाख करोड़ रुपये के नुक़सान की भरपाई को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो चुकी हैं। केंद्र सरकार चाहती थी कि 2.35 लाख करोड़ रुपये में से 1.1 लाख करोड़ रुपये राज्य सरकारें बाज़ार से उधार ले लें। केंद्र सरकार के हिसाब से जीएसटी नुक़सान के जो आँकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा कोविड 19 की वजह से पूरा नहीं हो पाया है। केंद्र के इस निर्णय के चलते केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। उनके साथ नौ अन्य राज्यों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने अपना निर्णय बदलते हुए 1.1 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ अब स्वयं लेने और राज्य सरकारों को लोन के रूप में देने का निर्णय किया।

मई 2014 में सारे उत्पाद शुल्क मिला कर पेट्रोल पर नौ रुपए अड़तालीस पैसे प्रति लीटर और डीजल पर तीन रुपए छप्पन पैसे प्रति लीटर थे। केंद्र ने इन शुल्कों को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर सत्ताईस रुपए नब्बे पैसे प्रति लीटर और डीजल पर इक्कीस रुपए अस्सी पैसे तक कर दिया था। इससे इनके दाम अठारह रुपए प्रति लीटर से ज्यादा तक बढ़ गए.! राज्यों के साथ बांटे जाने वाले कर राजस्वों में से उनसठ फीसद केंद्र अपने पास रखता है और बाकी इकतालीस फीसद में से वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को दे देता है। सभी राज्यों को मिल कर पेट्रोल पर सत्तावन रुपए चालीस पैसे प्रति लीटर और डीजल पर तिहत्तर रुपए अस्सी पैसे हाथ लगते हैं! इस मूल उत्पाद शुल्क से न तो कोई मुनाफा होता है, न नुकसान।

राजस्व का असल स्रोत बंटवारे वाले उत्पाद शुल्क हैं। 21 मई, 2022 को वित्तमंत्री ने इसमें क्रमश: आठ रुपए और छह रुपए की कटौती कर दी। केंद्र सरकार जहां पेट्रोल पर 27 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 21 रुपये 80 पैसे तक उत्पाद शुल्क बढ़ा कर इन्हें क्रमशः आठ और छः रुपये कम किया। इन्हें कम करने के बाद भी केंद्र तो लाभ में है लेकिन राज्यों को वैट कम करने की नसीहत दी गई, राज्यों ने इसे अपनी राजस्व में कमी के रूप में देखा। केंद्र द्वारा आंशिक राहत देने के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के पास यह जवाब था कि हम तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में नियंत्रण करने के लिए कठोर कदम उठा चुके हैं, अब राज्यों की बारी। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र जो राजस्व जुटाता है, उसमें से व्यावहारिक तौर पर राज्यों को कुछ नहीं मिलता। उनके राजस्व का मुख्य स्रोत पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर (वैट) है। जब केंद्र ने राहत दी तो कई राज्यों को भी अपने वैट में मजबूरन कमी करनी पड गई। केंद्रसरकार तो राहत देकर भी लाभ में ही रही क्योंकि वह पेट्रोल पर 8 रुपये कम करने से पहले 27 रूपये 90 पैसे उत्पाद शुल्क के नाम पर बढ़ा चुकी थी। वैट कम करने का सीधा नुकसान राज्यों को उठाना पड़ा।

कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था का संघीय संबंधों पर प्रभाव -

केंद्र-राज्य संबंधों की असली परीक्षा कोरोना काल में सामने आई जिसमें राज्यों ने अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था का प्रखर विरोध किया, इसके पक्ष में केंद्र द्वारा अपने तर्क भी दिए गए। केंद्र सरकार की वैक्सीन और ऑक्सीजन के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करने के लिये एकमात्र एजेंसी होने के नाते यह अनन्य ज़िम्मेदारी थी कि वह वैक्सीन

और ऑक्सीजन का पर्याप्त एवं विवेकपूर्ण वितरण सुनिश्चित करे। केंद्र ने महामारी से निपटने के लिये शक्तियों को केंद्रीकृत करते हुए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। हालाँकि, इन अधिनियमों के तहत राज्यों से परामर्श लेना, केंद्र के लिये एक विधायी अधिदेश था और केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी COVID-19 दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे थे।

इस दरमियान केंद्र ने अपने निर्णयों एवं नीतियों में न तो राज्यों से सलाह ली और न ही उन्हे उसमें शामिल किया। एका एक लगे लॉकडाउन ने हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ को पैदल ही अपने ठिकानो की ओर चलने को मजबूर कर दिया गया। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान अपने गृह राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक पलायन को देखा गया। केंद्र द्वारा यदि पहले ही राज्यों से परामर्श कर लिया जाता तो इन्हें वापस लाने की नीति बनाई जा सकती थी या ये जहां थे वहीं रहने की व्यवस्था की जा सकती थी।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि कोरोना काल के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों के बुनियादी ढाँचे की मूलभूत कमियाँ उजागर हुई। पहली लहर के दौरान नीतियों में केन्द्रवाद का प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आया। कोविड-19 की महामारी का प्रकोप होने पर भारत की आरंभिक प्रतिक्रिया अति केंद्रीकृत थी और कुछ हद तक तो अति निर्धारित भी थी। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर अधिक खतरनाक थी लेकिन दूसरी लहर में निर्णयों को राज्यों की ओर उन्मुख कर दिया गया। ऑक्सीजन जैसी आवश्यक चीज़ की अंतरराज्यीय सप्लाई और वितरण का काम अदालतों और सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय कार्यकर्ताओं के जिम्मे छोड़ दिया गया। टीकों की कमी को लेकर राज्य सरकारों द्वारा की गई आलोचनाओं के कारण केंद्र ने 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाने का काम विकेंद्रित करके टीकों की प्राप्ति और वितरण का काम राज्य सरकारों को सौंप दिया। दूसरी लहर के दौरान यह भी देखा गया कि केंद्र ने कुप्रबंधन का दोष राज्य सरकारों पर मढ़ दिया। हैरानी तो तब हुई जब संसद में यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि कोरोना में ऑक्सीज़न की कमी से देश में एक भी मौतें नहीं हुई। यह ज़िम्मेदारी नेहरू के कंधे पर नहीं डाली वरना ऑक्सीज़न संकट के लिए भी आजाद भारत में नेहरू ही जिम्मेदार होते।

मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले नई दिल्ली स्थित अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह द्वारा "भारतः कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान मीडिया पर दमनकारी कार्रवाई "India: Media's Crackdown During COVID-19 Lockdown" नाम से तैयार की गई हृदय विदारक रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद की अवधि में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गंभीर आलोचना की गई है। 55 पत्रकारों को अपने विचार प्रकट करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करने के लिए कानूनी नोटिस दिये गए, उनकी गिरफ़्तारी की गई और कोविड-19 की रिपोर्टिंग के लिए उनका दमन किया गया।

एक ओर जहां मुफ्त वैक्सीन को राज्यों के चुनावों में प्रचार के रूप में भुनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर बर्बरता पूर्ण नीतियों द्वारा विरोध का दमन किया जा रहा था। यह एक ऐसा समय था जिसमें परीक्षाएं स्थगित रही किन्तु चुनाव होते रहे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव इसी दौरान हुए, चुनावों के समय चुनावी राज्य से कोरोना दूर भाग जाता था और चुनाव होते ही लौट आता था। चुनावी रैलियों में लोगों का हुजूम उमड़ता रहा, नेताओं की बेशर्मी और गैर-

जिम्मेदारी सामने आती रही। चुनाव आयोजित करवाने के लिए जांच को कम कर दिया जाता था और चुनाव को टालने के लिए जांच बढ़ा दी जाती थी। मध्यप्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को टालने के लिए कोरोना जांच को बढ़ाया गया तो वहीं यूपी नगरीय निकाय चुनाव को आयोजित करवाने के लिए जांच को कम किया गया।

तत्कालीन मुद्दे और असहमतियाँ -

संघीय व्यवस्था में वित्तीय संबंधों में मतभेद के अतिरिक्त विधायी संबन्धों में भी गतिरोध देखने को मिले है। संसद संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कृषि उपज एवं बाज़ारों के संबंध में एक कानून नहीं बना सकती है क्योंकि कृषि एवं बाज़ार राज्य के विषय हैं। किंतु कृषि कानून के समय इसका उल्लंघन देखने को मिला है। जहां एक ओर सूचना के साधनों को नियंत्रित कर कृषि कानून के लाभ गिनाए जा रहे थे तो वहीं संसद में बगैर चर्चा के विधेयक पारित हो रहा था। विपक्ष के 'मत' यानि ना की ध्वनि को 'ध्वनिमत' का नाम दे दिया गया। मैगी बनने से भी कम समय में कानून बनने की यह परंपरा संसदीय इतिहास में पहली बार हो रही थी, जिस देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में चर्चा और बहस का इतिहास रहा हो वहाँ इस इतिहास को बदला जाना वर्तमान सरकार के लिए उपलब्धि की श्रेणी में आता है। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया कठपुतलियों की तरह अपनी डोर थामने वाली सत्ता की अंगुलियों के इशारे पर करतब दिखाते रहे। दोनों के लिए असल मुश्किल तो तब हुई जब दबाव में आकार सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा, अब मजबूरी तो यह थी कि साल भर तक जिस कृषि कानून के फायदे बताए थे अब उसके वापस हो जाने के लाभ गिनाने पड़ रहे थे। इस दौरान न्यू मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को अच्छी गति मिली। हालांकि आईटी सेल के माध्यम से किसान काजू खाते हैं, किसान एसी में सोते हैं जैसी बातों का दुष्प्रचार किया गया। इनकी नजर में किसानों की छवि सिर्फ जहर खाकर जान देने वाले वर्ग के रूप में ही थी। किसानों को खालिस्तानी बताने में भी आईटी सेल पीछे नहीं हटा लेकिन जनभावनाओं का साथ किसानो के पक्ष में था। न्यू मीडिया से जुड़े यू-ट्यूब चैनलो के पत्रकारों ने इस आंदोलन से जुड़ी वास्तविक जानकारियों को लोगों के बीच रखा जिसे बताने में समाचार पत्र और टीवी मीडिया डर रहा था।

समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों के लालच और टीवी चैनलों को आईटी, ईडी का भय दिखा कर अपने पक्ष में कर लिया जाता है और जो चैनल पक्ष में न आए तो उन्हें अपने व्यापारी मित्रों के माध्यम से खरीद लिया जाता है। ऐसे समय में न्यू मीडिया की ज़िम्मेदारी दोहरी हो जाती है, पहली उन्हें सच को लोगों के सामने रखना होता है और दूसरी उन्हें आईटी सेल के झूठ को बेनकाब भी करना होता है। इस दौर में न्यू मीडिया मंचों पर जब कभी वास्तविक मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है तब किसी ऐसे समानान्तर गैर-वजीफ विषय को लाकर चर्चा की दिशा को मोड दिया जाता है। यह घटना एक ट्रेंड का रूप ले चुकी है जो किसी जरूरी मुद्दे के समय घटित होती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद जब सरकार बनाने के लिए शिवसेना, रांकपा और काँग्रेस में सहमति बनी और अगले दिन सवेरे अखबारों में यह खबर छपी कि उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उस दिन सुबह का अखबार सुबह ही पुराना हो गया। आधी रात में राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन हट भी गया और महामहिम रात्री जागरण करते हुए भाजपा के देवेन्द्र फड़नविस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ दिला चुके थे। यह घटना जहां संवैधानिक प्रक्रियाओं का मज़ाक

बनाने पर सवाल खड़े कर रही थी तो वहीं आईटी सेल ने सरकार बदलने के चुटकुलों की व्हाट्स एप पर बुलेट ट्रेन चला दी। संविधान का मज़ाक बनाए जाने की घटना पर देश मनोरंजन में लग गया। संवैधानिक प्रावधानों की मर्यादा भंग करने की ऐसी घटनाएँ न्यू इंडिया में ही हुई है। पहले अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले सामने आते थे किन्तु अब संघीय व्यवस्था इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह बगैर इसके प्रयोग के भी अपने हितों को साध सकती है। केंद्र द्वारा राज्यों में नियुक्त राज्यपाल और मुख्यमंत्री विशेषकर उन राज्यों में जहां भाजपा के अतिरिक्त अन्य दलों की सरकारें है में विवाद उभरकर सामने आ रहे हैं। ऐसा एक या दो राज्यों में नहीं बल्कि उन सभी विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का विवाद इसका ताजा उदाहरण है, झारखंड में भी मुख्यमंत्री और राजभवन के बीच तनातनी चली आ रही है। दिल्ली में तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ऐसे लड़ते है बस उनके हाथों में तलवार नहीं होती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से वहाँ के पूर्व राज्यपाल का विवाद संवैधानिक पदो की 'सत्यनिष्ठा' के स्थान पर 'सत्तानिष्ठा' की ओर इंगित करने के लिए पर्याप्त था। तेलंगाना, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी ऐसे ही राज्य है जहां राजभवन से मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं।

समकालीन संघीय व्यवस्था में संघ इतना शक्तिशाली हो गया है कि राज्यों में अन्य दलों की सरकारों को अपनी सरकार बनाने से अधिक उस सरकार को बचाना और बचाकर 5 वर्ष तक पूर्ण चलाना अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य है जहां जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों को दलबदल के माध्यम से परिवर्तन किया गया। रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स लोकतन्त्र का अनिवार्य अध्याय बन चुकी है। इतना ही नहीं सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के कामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के उन राज्यों में जहां भाजपा के अतिरिक्त अन्य दलों की सरकारें हैं उन्होने इनके कामों को बहुत बड़ा दिया है। जांच एजेंसियों की कार्यवाही के आधार पर तो अब यही माना जा सकता है कि देश में एक मात्र ईमानदार दल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके नेताओं पर किसी तरह के छापे नहीं पड़ते और छापामारी कार्यक्रम से बचने के लिए अन्य दलों के जो भी नेता इसकी सदस्यता ले लेते है वे कार्यवाही से बच जाते है। जब कभी देश के किसी हिस्से में इन जांच एजेंसियों के कार्यवाही होती है उसे टीवी मीडिया केंद्र सरकार के पक्ष में भुनाते नजर आते है। पत्रकारो की भूमिका सत्ता प्रवक्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में न्यू मीडिया इन विषयों पर अपनी आवाज मुखर करता है।

निष्कर्ष -

हैरोल्ड लस्की ने लिखा था, "संघवाद का युग समाप्त हो गया है... केवल केंद्रीकृत व्यवस्था ही नये दौर की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर सकती है।" भारत जैसे देश के संबंध में यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह देश विविधता में अनेकता वाला है जहां पूरे देश को लेकर एक नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता। संघीय व्यवस्था में वित्तीय, विधायों संबंधो में जो गतिरोध पैदा हुए है वे राज्यों के विषय में संघ के अत्यधिक हस्तक्षेप का परिणाम है। साथ ही इस दौर की सबसे बड़ी समस्या सूचना के साधनों पर सरकारों के नियंत्रण ने वास्तविक सूचनाओं के प्रसार में अवरोध पैदा कर दिए है। दूसरे देशों की तुलना में गलत सूचनाओं का संकट भारत में अलग किस्म का है। आंशिक रूप में इसका

एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की दर बहुत कम है। लेकिन इसका कारण प्रौद्योगिकीय और पक्षपातपूर्ण भेदभाव भी हो सकता हैः भारत में कोविड-19 से संबंधित गलत सूचनाओं के साथ-साथ अन्य प्रकार की गलत सूचनाएँ भी आईटी सेल द्वारा प्रसारित की जाती रही। हम जब तक इसका हल नहीं खोजेंगे तब तक समस्या से निजात पाना संभव नहीं होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. नारायण सेन, शालिनी नारायण शालिन, 'इंडिया कनेक्टेड : न्यू मीडिया के प्रभावों की समीक्षा' ,सेज पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 2019

2.कश्यप सुभाष, ' गठबन्धन की सरकार और भारत में राजनीति', प्रकाशन एन. बी.टी. ,नईदिल्ली, 1997

3. बसु डी.डी., 'भारत का संविधान- एक परिचय' , लेक्सिस नेक्सिस, नवम संस्करण, नागपुर, 2012

4. मिश्रा राजेश, 'राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन', ओरिएंट ब्लैकस्वान, सातवाँ संस्करण, हैदराबाद, 2020

5. खत्री हरीशकुमार, 'भारत में राज्यों की राजनीति', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल

6. सिंह एम.पी. , राय हिमांशु, 'इंडियन पोलिटिक्स सिस्टम', मानक पब्लिकेशन, नईदिल्ली

7. घोष, अम्बर कुमार 'जीएसटी के पांच साल भारत के वित्तीय संघवाद पर पड़ने वाला असर' , ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन, 25 जुलाई 2022

8. चिदंबरम, पी. 'लेना ज्यादा देना कम', जनसत्ता, 29 मई 2022

9. सिंह पी.के. , पांडे महेश, चौरसिया प्रियेश, वर्मा आकाश, कन्हैया कृष्ण, 'केन्द्र राज्य वित्तीय संबन्ध बनाम जीएसटी: समस्या एंव चुनौतिया' Int. J. Rev. and Res. Social Sci. 2020; 8(4):231-234

10. https://www.dw.com/hi/कोरोना-का-दौर-केंद्र-और-राज्य-सरकारों-के-आपसी-संबंधों-के-लिए-कड़ा-इम्तिहान-है/

11. https://hindi.theprint.in/politics/bjp-destroying-federal-structure-tmc-centre-state-parliamentary-committee-home-ministry/419727/

12. https://www.bbc.com/hindi/india-54566798

13. https://hindi.theprint.in/opinion/centre-vs-states-gst-row-doesnt-matter-what-matters-is-reviving-economy-and-a-borrowing-plan/168825/

14.https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/covid-19-crisis-centre-

15.https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/center-and-states-need-coordinate-not-compete

16. https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/securitizing-health-and-suppressing-democracy-covid-19-policy-measures-and-political

17. https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/india%E2%80%99s-misinformation-crisis-what-role-do-bjp-whatsapp-groups-really-play

18. https://m.thewirehindi.com/article/kerala-governor-rakes-up-gold-smuggling-controversy-to-target-cm-vijayan/230551

19. https://navbharattimes.indiatimes.com/india/dispute-between-government-and-governor-indian-politics-bhagat-singh-koshyari-sampurnanand/articleshow/81082770.cms

20. https://www.jansatta.com/sunday-column/jansatta-ravivari-stambh-dusari-nazar-ravivari-stambh-special-artical-on-government-grip-on-indian-civil-services/2022615/

■ ■ ■